

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 114B/2016-17

राम बारीक बनाम शशी पात्रो

:: आदेश ::

अभ्युक्ति


दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

23.6.2018

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता राम बारीक, पिता स्व० सत्यनारायण बारीक, ग्राम-नैंगटासाई, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावां ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता शशी पात्रो, पति वैधनाथ तांती, ग्राम-गोविन्दपुर, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।

जिला न्यायालय सरायकेला
संख्या 114B/2016-17
दिनांक 23.6.2018
पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

भूमि सुधार उप समाहर्ता
सरायकेला